

मेरठ विकास प्राधिकरण की रक्षापुरम स्थित 'रक्षा ग्रीन्स'
स्व:वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत सेक्टर 03 में निर्मित किये जाने वाले
मध्यम आय वर्ग श्रेणी के (स्टील्ट पर पार्किंग की सुविधा के साथ) 4मंजिला फ्लैट्स प्राप्त करने का
स्वर्णिम अवसर

पंजीकरण दिनांक 04-10-2014 से 03-11-2014 तक

भवनों का विवरण

श्रेणी	फ्लैट्स की संख्या	आच्छादित क्षेत्रफल (व०मी०में)	अनुमानित मूल्य (रूपये में)	किश्तों में भुगतान का विकल्प देने वाले आवेदकों हेतु पंजीकरण धनराशि		नकद भुगतान का विकल्प देने वाले आवेदकों हेतु पंजीकरण धनराशि	
				पंजीकरण धनराशि 10% (रूपये में)	*आरक्षित वर्ग के आवेदकों के लिये पंजीकरण धनराशि 5% (रूपये में)	पंजीकरण धनराशि 25% (रूपये में)	*आरक्षित वर्ग के आवेदकों के लिये पंजीकरण धनराशि 12.5% (रूपये में)
मध्यम आय वर्ग	96	71.88	2590000	259000	129500	647500	323750

- *आरक्षित वर्ग (अनु०जाति, अनु०जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतन्त्रता संग्राम सैनानी, भूतपूर्व सैनिक व उनके आश्रित तथा विकलांग श्रेणी) के किश्तों आवेदकों को कीमत का 5% पंजीकरण धनराशि तथा नगद भुगतान के आवेदकों को कीमत का 12.5% पंजीकरण धनराशि का बैंक ड्राफ्ट जो उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ के पक्ष में देय हो, आरक्षण के प्रमाण पत्र सहित जमा करनी होगी तथा शेष किश्तों वाले आवेदकों को कीमत का 10 प्रतिशत धनराशि तथा नकद भुगतान के शेष आवेदकों को कीमत का 25 प्रतिशत धनराशि का बैंक ड्राफ्ट आवेदन पत्र के साथ जमा करनी होगी।
- आरक्षण:- आवेदक, जिस आरक्षण श्रेणी में आवेदन प्रस्तुत करेगा, उसके प्रमाण स्वरूप सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- समस्त श्रेणी के रिक्त फ्लैट्स में नकद भुगतान पर पंजीकरण कराने वाले आवेदकों को लाटरी द्वा में प्राथमिकता दी जायेगी। सम्पत्ति का आवंटन लाटरी पद्धति से आरक्षण के आधार पर किया जायेगा।

योजना की विशेषतायें:- 1. पूर्ण विकसित कालोनी, स्कूल, अस्पताल, क्लब व अन्य सामुदायिक सुविधाओं से सुसज्जित। 2. मवाना रोड़ पर बेगमपुल से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित। 3. सुरक्षित बाउन्डी वाल व परिसर के तीनों ओर सड़क की सुविधा, आस-पास हरित क्षेत्र 4. स्टील्ट में प्रत्येक भवन के लिये कवर्ड कार पार्किंग। 5. एच०डी०एफ०सी० बैंक से ऋण की सुविधा।

1. विस्तृत नियम एवम् शर्तों की विवरण पुस्तिका आवेदन पत्र सहित दिनांक 04-10-2014 से 03-11-2014 तक रुपये 500/- के भुगतान पर एच०डी०एफ०सी० बैंक की निम्नलिखित शाखाओं में प्राप्त की जा सकती हैं एवं आवेदन पत्र पूर्ण करके इन्हीं बैंकों में उक्त तिथि तक जमा की जा सकती हैं।

एच०डी०एफ०सी० बैंक:- (1) 171/1, सूर्याश प्लाजा, गढ़ रोड़, मेरठ मो०नं० 09358214343 (2) 381, वैस्ट्रन कचहरी रोड़, मेरठ (3) शील पैलेस दिल्ली रोड़ मेरठ (4) 6, रॉयल प्लाजा, रुड़की रोड़, पल्लवपुरम, मेरठ (5) जी०एफ० 'ओ' एण्ड 'एच' नई दिल्ली-11, डी०सी०एम० बिल्डिंग बारहा खम्बा रोड़, नई दिल्ली-110001 (6) डी-118, सेक्टर 26, नोएडा (7) आर०डी०सी० सेक्टर, राजनगर, गाजियाबाद-201002 व मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, बुलन्द शहर, हापुड़, मोदीनगर, मुरादाबाद, लखनऊ, बागपत, शामली व बड़ौत की अधिकृत शाखाओं से विक्रय की जायेगी जिनके सम्बन्ध में शाखा प्रबन्धक, मेरठ **श्री भूमेश कुमार, मो०नं० 09358214343** से जानकारी प्राप्त की जा सकती है, तथा आवेदन पत्र पंजीकरण धनराशि सहित उपरोक्त बैंक की उपरोक्त शाखाओं में जमा किये जायेंगे। 2. विवरण पुस्तिका सहित पंजीकरण आवेदन पत्र, मेरठ विकास प्राधिकरण की वेबसाईट (www.mdameerut.org.in) पर उपलब्ध रहेगा। वेबसाईट से प्राप्त पंजीकरण आवेदन पत्र उपयोग लाने पर रुपये 500/- प्रति विवरण पुस्तिका व निर्धारित पंजीकरण धनराशि एच०डी०एफ०सी० बैंक की विज्ञापित शाखाओं में पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ जमा करा सकते हैं। 3. योजना से सम्बन्धित अन्य विवरण/जानकारी मुख्य अभियन्ता, मेरठ विकास प्राधिकरण से (दूरभाष सं० 01212648598) किसी भी कार्यालय दिवस में प्राप्त की जा सकती है। 4. सम्पत्तियों के पंजीकरण उपरान्त लाटरी द्वा के सम्बन्ध में विज्ञापन पृथक से जारी किया जायेगा। 5. तालिका में उल्लिखित फ्लैट्स की संख्या, क्षेत्रफल व कीमत अनुमानित है जो घट/बढ़ सकती है।

योजनाधिकारी।

— **सुनियोजित विकास प्राधिकरण के साथ —**

उपाध्यक्ष।